



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. : 0141-2227884, ई-मेल : seprd1235@gmail.com

क्रमांक -F4()/PRD/PC/sfc/ 2020/ 650

दिनांक 30-03-2020

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त
2. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त

विषय: एसएफसी पंचम मद की अनुदान राशि से कोरोना संक्रमण की रोकथाम करने हेतु स्वच्छता संबंधी कार्य कराने बाबत


महोदय

विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (covid 19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने के कारण राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में काफी तैयारी, बचाव और सुरक्षात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हुए हैं।

विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग 5 मद में अनुदान राशि दी जा रही है। विभागीय पत्र क्रमांक 2384 दिनांक 5.9.2019 के अनुसार इस अनुदान राशि के उपयोग से सफाई और स्वच्छता संबंधी कार्य भी अनुमत है। इस अनुदान राशि में से 40 प्रतिशत राशि केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता की स्कीमों के लिए उपयोग में लेना अनुमत है जिसमें भी स्वच्छता संबंधी कार्य अनुमत है।

अतः एसएफसी पंचम मद की राशि का उपयोग निम्न गतिविधि पर भी करने हेतु निर्देश दिए जाते हैं -


1. कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु कीटाणुओं को खत्म करने हेतु आवश्यक दवाओं यथा सोडियम हाइपो क्लोराइट का छिड़काव, वितरण
2. पंचायती राज संस्थाओं के कार्मिक और निर्वाचित जन प्रतिनिधि जो इस प्रकोप से लड़ने में सहयोग कर रहे हैं, की सुरक्षा हेतु आवश्यक सामग्री यथा सेनेटाइजर, मास्क, हाथ के दस्ताने की व्यवस्था।
3. उक्त गतिविधि पर ग्राम पंचायत अधिकतम 50,000 रु, विकास अधिकारी, पंचायत समिति 1 लाख रु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद 1.5 लाख रु तक व्यय कर सकेंगे।

भवदीय  
  
(राजेश्वर सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपी

1. विशिष्ट सहायक, मान. उप मुख्य मंत्री महोदय
2. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रा वि और प रा वि
3. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राजस्थान
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक
5. जिला कलेक्टर, समस्त
6. एसीपी पंचायती राज को लेखा प्रकोष्ठ में वेब साइट पर अपलोड करने हेतु
7. उप निदेशक सूचना और जन सम्पर्क



(मुकेश माहेश्वरी)

अधीक्षण अभियंता पंचायती राज